चतुर्थ
एमिटी राष्ट्रीय
हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता
२०२०

मूट समस्या

वाद समस्या

वाद बिंदु की कहानी बहादुरगढ़ के मशूदपुर नामक एक छोटे से स्थान पर केंद्रित है। जो की एक अर्द्धशहरीय क्षेत्र है। रामपाल (35 वर्षीय, मध्यमवर्गीय) निवेश बैंकर है, जिसने हेमंत कुमार (45 वर्षीय, उच्च-स्तरीय व्यापारी, उच्च राजनीतिक संबंध रखने वाले) से 20,00,000/- रूपए की नकद धनराशि प्राप्त की थी। साथ ही उस धनराशि को हेमंत कुमार के कहने पर निवेश बाजार में लगाया था।

दो वर्षों पश्चात् जब हेमंत कुमार ने अपनी धनराशि वापस माँगी तो रामपाल ने उसे बताया कि आपका धन डूब गया है, जिसे मैं आपको वापस लौटाने में असमर्थ हूँ। परंतु इस दौरान रामपाल ने अपना घर पक्का करवा लिया था। यह देखकर हेमंत कुमार आक्रोश में आकर 20।06।2015 को रामपाल के घर उसे धमकी देकर आता है कि यदि रामपाल ने उसका धन नहीं लौटाया तो वह उसका पारिवारिक जीवन नष्ट कर देगा।

24।06।2015 को रामपाल की दोनों पुत्रियाँ रिंकी (15 वर्षीया), प्रिया (17 वर्षीया) सायं-काल 8ः00 बजे ट्यूशन से लौटकर घर को जा रही थीं। तभी रास्ते से गुज़र रहे रामपाल के पड़ोसी सुरेंद्र जी (80 वर्षीय) ने देखा कि एक पीली गाड़ी आई और उन दोनों लड़कियों को कुछ लड़के ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए, गाड़ी का नंबर पढ़ने में असमर्थ, सुरेंद्र जी तुरंत ही रामपाल के घर गए जहाँ रामपाल उन्हें नहीं मिले।

परेशान सुरेंद्र जी पुलिस थाने गए और वहाँ रामपाल को दूरभाष कराया। जब रामपाल थाने पहुँचा तब उसे इस घटनाक्रम की सूचना मिली। पुलिस की पूछ ताछ पर रामपाल ने बताया कि पीली गाड़ी तो उसके ग्राहक हेमंत कुमार की है। जो उसे चंद दिनों पहले धमका कर गया था।

कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी जिस कारण पुलिस की तहकीकात मंदी पड़ गई थी तभी 05।07।2015 को प्रातःकाल 5ः00 बजे पुलिस को सूचना मिली की कल्लू (30 वर्षीय) नामक पंचायत घर के सफाई कर्मचारी को दो लड़कियाँ मूर्च्छित अवस्था में मिली हैं। इस सूचना की जाँच करने पुलिस वहाँ पहुँची तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये दो रामपाल की गुमशुदा पुत्रियाँ

हैं। अस्पताल ले जाने पर यह ज्ञात हुआ कि प्रिया की मृत्यू हो चुकी है तथा रिंकी की हालत थोड़ी गंभीर है।

कुछ घंटों पश्चात् जब रिंकी को होश आया तब उसने बताया कि 24|06|2015 को जब हम ट्यूशन से घर जा रहे थे, तब घर से थोड़ा पहले एक पीली गाड़ी में कुछ लड़के आए, जिन्होंने अपना मुँह ढक रखा था। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और बेहोश कर दिया। उसके पश्चात् जब मुझे थोड़ा-सा होश आया, तब मेरे हाथ-पैर बंधे हुए थे, मेरी आँखों पर पट्टी थी और मेरे पूरे शरीर मे असहनीय पीड़ा हो रही थी। थोड़ी दूर से मुझे मेरी बहन की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़े समय पश्चात् जब मुझे दोबारा होश आया, तब मैने कुछ लोगों को किसी की मृत्यू के बारे में बात करते सुना। तभी मेरे सिर पर एक तीव्र प्रहार हुआ और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं।

लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट आने के पश्चात् पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि दोनों लड़कियों के साथ दुश्कर्म किया गया है। प्रिया के शरीर पर संघर्ष के निशान हैं परंतु रिंकी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हैं। दोनों लड़कियों के हाथों तथा पैरों को किसी मज़बूत चीज़ से बांधा गया था और दोनों लड़कियों के रक्त में रोहिपनौल (Rohypnol) नामक ड्रग काफी मात्रा में था। पानी में ज़्यादा देर तक रहने के कारण शरीर में वीर्य की प्राप्ति नहीं हुई साथ ही प्रिया की मृत्यू का कारण रक्त की हानि बताया गया।

हेमंत कुमार से बात-चीत करने पर उसने यह बताया कि दिनांक 24|06|2015 से लेकर 04|07|2015 तारीक तक वह देश से बाहर था। (उसके पास यात्रा का सबूत था।) उसकी हवाई यात्रा का समय 11 बजे का था परंतु वह 10 बजे ही हवाई अड्डे पहुँच गया था। (CCTV footage or mobile track available) (हेमंत कुमार के घर और हवाई अड्डे के बीच की दूरी डेढ़ घंटे की है।)

पुलिस ने जब हेमंत कुमार की पीली गाड़ी की जाँच करी तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि गाड़ी की पिछली गद्दी हाल ही में सिली गई थी।

इस जाँच पड़ताल के पश्चात् जब हेमंत कुमार से पुलिस ने बात-चीत की तब उसने अपने बयान में बताया कि रामपाल मुझे मेरी धनराशि नहीं लौटा पाया

था। इस कारण आक्रोश में आकर मैंने उसे उसका परिवार नष्ट करने की धमकी तो दे दी थी परंतु मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी इसी धमकी का फायदा उठाकर रामपाल मुझे फँसाना चाहता है। रामपाल ने स्वंय मुझे यह बताया था कि उसकी बड़ी बेटी प्रिया के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। वह एक अपरिवर्तनवादी सोच रखने वाला व्यक्ति है तथा उसे शंका थी कि उसकी बेटी प्रिया का किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध है। इसी कारणवश उसने अपनी दोनों पुत्रियों का नाम एक अच्छे अंग्रेज़ी विद्यालय से कटवाकर अपने ही घर के समीप स्थित एक सरकारी बालिका विद्यालय में लिखवा दिया था। किंतु उसे फिर भी आशंका थी कि प्रिया अभी भी उस लड़के से संबंध रखती है। जिस कारण से वह अपनी बेटियों को मारता-पीटता भी था। समाज में उसका सम्मान नष्ट न हो, इसके लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता था।

सुरेंद्र जी सहित पाशा और कुबेर ने बताया कि रामपाल एक शक्की मिज़ाज वाला व्यक्ति है। इन्हीं कारणों से वह अपनी दोनों पुत्रियों पर अत्यधिक पाबंदियाँ भी लगाया करता है।

सारे सबूतों तथा बयानों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने हेमंत कुमार को गिरफतार कर लिया।

उक्त घटनाक्रम के पश्चात ये प्रबल सवाल उठते है कि :

प्रश्न १- क्या सुरेन्द्र जी जो ८० साल के हैं उनका गवाह होना वाजिब है?

प्रश्न २- क्या गाड़ी की गद्दी फटी मिलना परिस्थितिजन्य साक्ष्य गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है ?

प्रश्न ३- हेमंत कुमार के अनुसार हत्या रामपाल ने करवाई है । हां और ना दोनों ही परिस्थितियों में जैसा आप सोचते हैं तर्क देकर सिद्ध करें ?

ध्यान दें- समृतिका के निर्माण में उक्त सवालों से शोध का पैमाना प्रशंसनीय है । प्रतिभागियों को कोई भी अन्य मुद्दा उचित लगे वो उस पर भी तर्क कर सकते हैं ।

**यह मूट समस्या अनन्या खरे द्वारा रचित है तथा अरव्या आराया द्वारा लिखी गई है ।

चतुर्थ
एमिटी राष्ट्रीय
हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता
२०२०

प्रतियोगिता के नियम

1 प्रतियोगिता का आयोजन

1.1 शासन प्रबंध

- राष्ट्रिय हिन्दी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2020 में अमिति लां स्कूल, अमिति विश्वविघयालया, सैक्टर 125 नोएडा के स्टूडेंट बार फॉरम द्वारा आयोजित और प्रशासित किया जाता है।
- प्रतियोगिता 19-20 सितंबर, 2020 को ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
- संयोजक प्रोफेसर गार्गी भडोरिया, अमिति लां स्कूल, मूट कोर्ट प्रतियोगिता के फ़ैकल्टि संयोजक हैं।

1.2 भाषा

- प्रतियोगिता हिन्दी भाषा में ही आयोजित की जाएगी। ओरल रौंड्स एंड मेमोरियल सबमिशन हिन्दी में होगी।

1.3 प्रतियोगिता की संरचना

- मेमोरियल सबमिशन वाली टीमों को राष्ट्रिय राउंड में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें प्रारंभिक राउंड क्वार्टर फ़ाइनल, सेमी फ़ाइनल और फ़ाइनल।

1.4 नियमों की व्याख्या

- संयोजक इन नियमों के कार्यान्वयन और व्याख्या के अंतिम मध्यस्थ के रूप में काम करेगा।

2 भागीदारी की व्याख्या

2.1 पात्रता

- एक टीम में एक अधिक संस्थानों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसी तरह, दो से अधिक टीम किसी भी संस्थान से भाग नहीं ली सकती है।

2.2 टीम रचना

- प्रत्येक टीम में तीन सदस्यों में से कम दो सदस्य होंगे, जिसमें दो स्पीकर और एक शोधकर्ता शामिल अधिकतम तीन सदस्य होंगे। किसी भी टीम के सदस्य के प्रतिस्थापन को पंजीकरण के समय सीमा के बाद की अनुमति नहीं है सिवाय बुझाने की परिस्थितियों में और केवल संयोजक की लिखित अनुमति के साथ होगा।
- टीमों में केवल एक शोधकर्ता हो सकता है।
- एक शोधकर्ता को केवल न्यायालय की अनुमति एक वक्ता के बजाय बहस करने की अनुमति दी जाएगी।
- चौथे सदस्य को कोई प्रमाण पत्र और न ही आवास प्रदान किया जाएगा।

3 पंजीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण प्रारूप और समय सीमा टीमों को 6 सितंबर 2020 तक register.hmc2020@gmail.com पर ईमेल भेजकर **Registration for Amity National Hindi Moot Court, 2020** विषय पर पंजीकरण करना होगा। ईमेल में पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रतिलिपि विधिवत भरी होनी चाहिए। प्रत्येक पंजीकृत टीम को एक कोड आवंटित किया जाएगा। टीमों को आमंत्रित के साथ भेजे गए गूगल फार्म को भी भरना होगा।

3.1 पंजीकरण शुल्क

1 पंजीकरण शुल्क अदा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है।

2 ऑनलाइन ट्रान्सफर का विवरण 1 सितंबर 2020 को दोपहर 12 बजे तक टीमों द्वारा ईमेल register.hmc2020@gmail.com पर भेजा जाना चाहिए।

4 स्मारकों

4.1 मेमोरियल सबमिशन

- प्रतियोगिता में पंजीकृत प्रत्येक टीम को याचिकाकर्ता की ओर से एक और प्रतिवादी की ओर से एक स्मारक तैयार करना होगा।
- प्रत्येक टीम को अपने स्मारकों की एक सॉफ्ट कॉपी 6 सितंबर 2020 तक नवीनतम भेजना चाहिए। रजिस्टर करने के लिए **Memorials for ALS Hindi Moot 2020** विषय के साथ। इस समय सीमा के संबंध में कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।
- समय सीमा के भीतर प्रस्तुत स्मारकों का मूल्यांकन नियम में प्रदान किए गए मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। 4.4।
- प्रत्येक टीम को अपने विपक्ष का मूट मेमोरियल 18 सितंबर 2020 दोपहर तक मिल जाएंगे।
- प्रतियोगिता के पूरे होने के बाद, आयोजक उपयुक्त के रूप में उन्हें प्रस्तुत स्मारकों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

4.2। स्मारक प्रारूप

(ए) मेमोरियल की सभी सॉफ्ट कॉपी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 2003/2007 फॉर्मेट (.doc / .docx) में होनी चाहिए।

(बी) मेमोरियल के सभी पृष्ठ ए 4 साइज के होने चाहिए, जिसमें हर तरफ समान मार्जिन हो।

(c) कवर पेज और पृष्ठ संख्या को छोड़कर, स्मारक के सभी हिस्सों के पाठ की फ़ॉन्ट शैली और आकार, टाइम्स न्यू रोमन 12-बिंदु में होना चाहिए। फुटनोट्स टाइम्स न्यू रोमन 10-पॉइंट में होंगे।

(d) स्मारक के सभी भागों के पाठ का अंतर 1.5 होना चाहिए। फ़ुटनोट्स को सिंगल लाइन स्पेसिंग के साथ अलग किया जाना चाहिए।

(() स्मारक की हार्ड प्रतियां केवल एक तरफ मुद्रित की जाएंगी। उप-नियम (क) का अनुपालन न करने पर 5 अंकों का जुर्माना लगेगा। उप-नियमों (बी) से (ई) का अनुपालन न किए जाने पर प्रति पृष्ठ 1 अंक का जुर्माना लगेगा।

4.3। स्मारक सामग्री

(ए) स्मारक में निम्नलिखित खंड शामिल होने चाहिए:

कवर पेज (याचिकाकर्ता / उत्तर पक्ष के आधार पर नीला / लाल होना)

- विषय - सूची
- अधिकारियों का सूचकांक
- क्षेत्राधिकार का विवरण
- तथ्यों का विवरण
- मुद्दों का विवरण
- तर्क का सारांश
- तर्क
- प्रार्थना

(b) तर्क 20 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप प्रति अतिरिक्त पृष्ठ 1 अंक का जुर्माना होगा।

(c) संपूर्ण के रूप में स्मारक कवर पृष्ठ सहित 35 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप प्रति अतिरिक्त पेज 3 अंक का जुर्माना होगा।

(d) उद्धरण को ब्लूबुक के 20 वें संस्करण का पालन करना चाहिए। फ़ुटनोट या एंडनोट्स बोलने की अनुमति नहीं है। गैर-अनुपालन का पता चला प्रति पृष्ठ 1 बिंदु का जुर्माना होगा।

(e) सॉफ्ट कॉपी और मेमोरियल की हार्ड कॉपी की पूरी सामग्री एक ही होनी चाहिए। इस नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगेगा जो अयोग्यता तक बढ़ सकता है।

4.4। मेमोरियल मूल्यांकन

प्रत्येक स्मारक के लिए अधिकतम अंक 100 अंक होंगे। स्मारक का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा:

- कानून और तथ्यों का ज्ञान 25 अंक
- उचित और स्पष्ट विश्लेषण 25 अंक
- अनुसंधान 20 बिंदुओं का विस्तार और उपयोग
- स्पष्टता और संगठन 20 अंक
- व्याकरण और शैली 10 अंक

5 मूट प्रक्रियाएँ

5.1 सामान्य प्रक्रिया

- मौखिक दौर में प्रारंभिक दौर, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड शामिल होंगे।
- दो प्रारंभिक दौर होंगे।
- आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम सबसे पहले अपनी दलीलें प्रस्तुत करेगी, उसके बाद टीम उत्तरदाता का प्रतिनिधित्व करेगी। तर्कों के पूरा होने पर, आवेदक के पास प्रतिवादी प्रस्तुत करने का विकल्प होगा, जिसके बाद उत्तरदाता होगा। जजों के विवेक के अधीन सुर-खंडन की अनुमति नहीं होगी / नहीं होगी।
- चरण ।से आवेदक और उत्तरदाता मेमोरियल के लिए कुल मेमोरियल स्कोर के आधार पर टीमों को चार समूहों में रखा जाएगा। टीमों का विभाजन यह सुनिश्चित करने के लिए अंकों के आधार पर किया जाएगा कि प्रत्येक समूह समान रूप से दूसरों के लिए तौला जाए। । (इसलिए 1-4 स्थान पर रहने वाली टीम को ग्रुप ए-डी में विभाजित किया जाएगा, टीम को ग्रुप ए-डी में 5-8 स्थान पर, और इसी तरह)। पावर-सीडिंग पैटर्न के बाद मैच अप को ठीक किया जाएगा।
- प्रारंभिक राउंड के लिए प्रत्येक टीम के लिए राउंड टोटल प्रारंभिक राउंड में टीम द्वारा प्रस्तुत पक्ष के लिए स्पीकर स्कोर और मेमोरियल स्कोर का कुल योग होगा।
- क्वार्टर-फ़ाइनल के लिए राउंड टोटल और अन्य नॉक-आउट राउंड में स्मारक स्कोर शामिल नहीं होंगे।

5.2 मौखिक प्रक्रियाओं के लिए प्रक्रिया

- प्रत्येक टीम को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए 30 मिनट आवंटित किए जाएंगे, इसमें न्यायाधीशों के विवेक के अधीन, उन्नत, खंडन और सुर-खंडन के लिए आवंटित समय शामिल होगा।
- दो वक्ताओं के बीच समय का विभाजन टीम के विवेक पर निर्भर है, हालांकि, प्रत्येक स्पीकर को न्यूनतम 10 मिनट के लिए बोलना होगा।
- स्मारकों में मौखिक तर्कों को मुद्दों से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
- शोधकर्ताओं को बोलने वालों के साथ मौखिक दौर के लिए बैठने की अनुमति है।
- टीमों को न्यायाधीशों को उनके विवेक के अधीन होने की अनुमति देने की अनुमति है, हालांकि, न्यायाधीशों को दी गई कोई भी सामग्री संस्था के नाम पर नहीं होनी चाहिए।
- मौखिक दौर के लिए अधिकतम अंक प्रति न्यायाधीश प्रति वक्ता १०० अंक होंगे।

- मौखिक दौर का मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा और मूल्यांकन का आधार निम्नानुसार होगा:

- कानून और तथ्यों का ज्ञान : 25 अंक
- उचित और स्पष्ट विश्लेषण : 25 अंक
- अनुसंधान बिन्दुओं का विस्तार और उपयोग : 20 अंक
- स्पष्टता और संगठन : 20 अंक
- व्याकरण और शैली : 10 अंक

• पीठ प्रारंभिक दौर में कम से कम दो न्यायाधीशों का गठन करेगी।

• प्रारंभिक दौर में कोई भी टीम एक से अधिक बार एक ही बेंच का सामना नहीं करेगी।

• प्रत्येक टीम के लिए कुल स्कोर दोनों प्रारंभिक दौर के लिए गोल कुल का योग होगा।

5.4 क्वार्टर फाइनल

- प्रारंभिक राउंड में चार समूहों में से प्रत्येक की दो उच्चतम रैंकिंग टीमें क्वार्टर-फाइनल राउंड के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी।
- प्रारंभिक राउंड से क्वार्टर फाइनल में योग्यता के प्रयोजनों के लिए, टीम द्वारा जीते गए राउंड की संख्या को पहले मानदंड के रूप में माना जाएगा।

- यदि कोई टाई है, तो उनके संबंधित राउंड के विजयी अंतर को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा, टाई के मामले में जीत के स्कोर को ध्यान में रखने के बाद, अगर टीमों को बांधा गया है, प्रारंभिक दौर में एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं, तो उस मैच के परिणाम के आधार पर निर्णय लिया जाएगा; अन्यथा बहुत सारे ड्रा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
- क्वार्टर-फाइनल राउंड के लिए, मैच पावर सीडिंग के आधार पर होगा।

5.5 सेमी फ़ाइनल

- चार क्वार्टरफाइनल राउंड में से प्रत्येक में जीतने वाली टीम सेमी फाइनल राउंड के लिए आगे बढ़ेगी।
- सेमीफाइनल राउंड्स में, मैच संख्याओं के संदर्भ में जोड़ियां निम्नानुसार होंगी: मैच 1 का विजेता बनाम मैच 4 का विजेता; और मैच 2 के विजेता बनाम मैच 3 के विजेता।

5.6 फाइनल

- दो सेमी फाइनल राउंड में से प्रत्येक से विजेता टीम फाइनल राउंड के लिए आगे बढ़ेगी। फाइनल राउंड के विजेता को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा।

6 अनुसंधानकर्ताओं का परीक्षण

- शोधकर्ताओं का परीक्षण प्रतियोगिता के दिन 1 पर आयोजित किया जाएगा।
- परीक्षण केवल साठ (60) मिनट की अवधि के लिए होगा।
- परीक्षण में संवैधानिक कानून और आपराधिक कानून के प्रस्ताव और ज्ञान में वर्णित मुद्दों के आधार पर उद्देश्य और व्यक्तिपरक प्रश्न दोनों शामिल होंगे।

7 स्काउटिंग

- टीमों को किसी अन्य टीम के अंगों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता से बाहर नहीं कर दिया गया हो। स्काउटिंग सख्त वर्जित है।
- किसी भी टीम द्वारा स्काउटिंग तत्काल अयोग्यता दर्ज करेगा।

8 पुरस्कार

• विजेता टीम पुरस्कार: विजेता टीम को एक ट्रॉफी और पुरस्कार राशि मिलेगी। 30,000 / -

• रनर अप टीम पुरस्कार: उपविजेता टीम को एक ट्रॉफी और पुरस्कार राशि मिलेगी। 15,000 / -

• रनर अप टीम पुरस्कार: उपविजेता टीम को एक ट्रॉफी और पुरस्कार राशि मिलेगी। 10,000 / -

9 एनामीनिटी

- छात्र काउंसल मौखिक दौर के दौरान अपना नाम बता सकते हैं, और उन्हें टीम कोड का उपयोग करना चाहिए। प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी के दौरान सभी टीम के सदस्यों को किसी भी समय और किसी भी तरीके से, अपनी संस्था की पहचान का खुलासा करने से बचना है।
- इस नियम का पालन न करने पर टीम को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में संयोजक का निर्णय अंतिम होगा।
- राउंड के परिणाम के संबंध में न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम होगा।

10 संपर्क करे :

- छात्र संयोजक:
  - कुमार मंगलम : 8929853041
  - मनंजय सिंह राठौर : 7976725151
- पंजीकरण समस्या हेतु
  - लुभानशी तंवर : 9873316585
  - अरव्या आर्य : 8859841201
- मूट प्रोब्लम स्पष्टी-करण हेतु
  - अनन्या खरे : 8573952222

ध्यान दें : मूट प्रस्ताव के संबंध में सभी स्पष्टी-करण 6 सितंबर 2020 तक register.hmc2020@gmail.com पर भेजे जाने चाहिए।

चतुर्थ
एमिटी राष्ट्रीय
हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता
२०२०

अवधारणा पत्र

4th AMITY NATIONAL HINDI MOOT COURT COMPETITION, 2020

" वीर भोग्य वसुंधरा "

CONCEPT NOTE

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार।।"

शब्दार्थ,

निज यानी अपनी मूल भाषा से ही उन्नति सम्भव है, क्योंकि यही सारी हमारी मूल भाषा ही सभी उन्नतियों का मूलाधार है और मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण सम्भव नहीं है। हमे विभिन्न प्रकार की कलाएँ, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से जरूर लेने चाहिये, परन्तु उनका प्रचार मातृभाषा में ही करना चाहिये।

भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1950 **के अनुच्छेद** 343 **के तहत देश की आधिकारिक भाषा के रूप में** 1950 **में अपनाया। इसके साथ ही भारत सरकार के स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं औपचारिक रूप से इस्तेमाल हुईं। 1949 में भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। वर्ष** 1949 **से प्रत्येक वर्ष** 14 **सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।**

न्यायिक परिपेक्ष में भी हिंदी की प्रासंगिकता अछूती नहीं है । सरकारी परीक्षाएं हों या फिर कचहरी का काम हिंदी की अनिवार्यता पर आक्षेप करना बेमानी होगा ।हिंदी भाषा में कानूनी कामकाज की महत्वता को मद्देनज़र रखते हुए एमिटी विधि संस्थान , एमिटी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में चतुर्थ एमिटी राष्ट्रीय हिंदी आभासी न्यायालय प्रतियोगिता २०२० (4th Amity National Moot Court Competition, 2020) का भव्य आयोजन किया जा रहा हैं। प्रतियोगिता कि वाद समस्या के अध्यन हेतु विभिन्न धर्मो के व्यक्तिगत कानून , भारतीय दंड संहिता एवं अन्य आपराधिक कानूनों के सन्दर्भ में पढ़ा जा सकता हैं ।आशा करते हैं कि आप सभी अपनी सफल प्रतिभागिता से हिंदी भाषा को समर्पित इस शैक्षणिक यज्ञ में अपने प्रयत्नों से आहूति देंगे ।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रतियोगिता की तिथि - १९-२० सितंबर, २०२०
- पंजीकरण कि अंतिम तिथि - ३१ अगस्त,२०२०
- स्मृतिका (Memorial) को जमा करने कि अंतिम तिथि (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी) : ६ सितंबर, २०२०
- प्रतियोगिता सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु अंतिम तिथि : ६ सितंबर, २०२०

पंजीकरण शुल्क - ₹ ३५०० /-